तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3476/2006/भरतपुर सुखदेई बनाम हुकुम सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री हंगामीलाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी **<u>निर्णय</u>** **दिनांक 08.08.2019** अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-05-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल खातेदार गिरधारी की मृत्यु उपरान्त उसकी खातेदारी की आराजी का विरासत के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 119 हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02-04-2004 को भरा गया। तत्पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत, बहनेरा ने बाद जांच नामान्तरकरण प्रत्यर्थी हुकमसिंह के पक्ष में आदेश दिनांक 17-06-2004 से तस्दीक कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत, बहनेरा द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3476/2006/भरतपुर सुखदेई बनाम हुकुम सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 04-05-2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी मृतक खातेदार गिरधारी की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्राकृतिक वारिस है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पिता के फौत होने के पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा विधिवत् रूप से अपीलार्थी के नाम विरासत का नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत ने अवैध रूप से अप्रमाणित वसीयत कमे आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में तस्दीक कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पिता ने प्रत्यर्थी के हक में कभी कोई वसीयत निष्पादित नहीं की तथा तथाकथित वसीयत प्रमाणित व रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी को विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उक्त कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधि की अनेदखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 119 पर पारित आदेश दिनांक 17-06-2004 को निरस्त किया जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3476/2006/भरतपुर सुखदेई बनाम हुकुम सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार मृतक गिरधारी ने अपने जीवनकाल में उनके पक्षकार के पक्ष में दिनांक 20-05-1999 को विवादित आराजी बाबत् वसीयत लिखकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा दिया था। उनका कथन है कि ग्राम पंचायत ने मूल खातेदार द्वारा निष्पादित वसीयत की जांच कर उनके पक्षकार के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित किया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय एवं आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी का मूल खातेदार गिरधारी था, जिसकी मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण मृतक खातेदार की पुत्री अपीलार्थी के नाम हल्का पटवारी द्वारा भरा गया। तत्पश्चात् सरपंच, ग्राम पंचायत, बहनेरा ने वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 119 की पुस्त पर अंकित नोट से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया। इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3476/2006/भरतपुर सुखदेई बनाम हुकुम सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में बरवक्त नामान्तरकरण तस्दीकीकरण मृतक के दो प्रकार के वारिसान क्रमशः प्राकृतिक एवं वसीयती वारिसान उपस्थित हो गये थे तो ऐसी स्थिति में वारिसान का विवाद उत्पन्न हो जाने तथा वसीयत की जांच का निस्तारण करने में एवं नामान्तरकरण तस्दीक करने में ग्राम पंचायत सक्षम नहीं थी तथा ना ही सम्भागीय आयुक्त को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। सम्भागीय आुयक्त ने अपील दर्ज के रोज क्षेत्राधिकार के बिन्दू को रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज की थी किन्तु अन्तिम निर्णय में क्षेत्राधिकार के बिन्दू को अनिर्णीत रख दिया। इस प्रकार सम्भागीय आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-05-2006 एवं ग्राम पंचायत, बहनेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-06-2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, चिकसाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार गिरधारी के प्राकृतिक वारिसान अपीलार्थी एवं वसीयती वारिसान प्रत्यर्थी को सुनकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3476/2006/भरतपुर सुखदेई बनाम हुकुम सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	